राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों को वित्तीय सहायता

270 श्री भंवर लाल पंवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कितने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त सहायता राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) 1991–92 के वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार लाभग्राही उन्मुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान में 336400 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 3,87,487 अनुसचित जनजाति परिवारों को सहायता दी गई ।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान 4712.28 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया गया।

(ग) राजस्थान में परिवार लाभग्राही उन्मुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 1991–92 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता में आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि 1613.36 लाख रुपए है जिसमें से 572.06 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

बेतवा नदी में पाया गया प्रदूषण

271 श्री राघव जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी, बेतवा में प्रदूषण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त जांच के आधार पर पता लगाये गये प्रदूषण का स्तर कितना है तथा यह प्रदूषण किन-किन स्थानों पर है तथा प्रदूषण के मुख्य कारण क्या-क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार बेतवा नदी में प्रदूषण को रोकने तथा इसकी सफाई करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यदि हां, तो कब तक और कितनी मात्र में सहायता देगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कमल नाथ (क) और (ख) जी, हां । मंडीदीप, विदिशा और कुर-वाई के साथ-साथ बेतवा नदी के कुछ हिस्से औद्योगिक बहिस्राव और घरेलू अपशिष्ट बहाये जाने के कारण अत्यन्त प्रदूषित हो गए हैं।

(ग) और (घ) उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने और अपने बहिस्रावों का निर्धारित मानकों के अनुसार शोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के उपबंधों के तहत प्रमुख दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं। सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए लघु इकाइयों के समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । जो उद्योग प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाते हैं उन्हें करों में रियायतों के जरिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है । जिन उद्योगों तथा नगरपालिकाओं में प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपकरण कार्य कर रहे हैं उन्हें पानी के उपयोग पर उपकर में छूट दी जाती है । प्रदूषण को कम करने के उपकरण लगाने के लिए उद्योगों को ऋण की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।